न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 30 / 2013

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कन्हैयालाल दत्तक पुत्र किशनाराम जाति सुनार निवासी बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

1 श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी जयनारायण जाति सुनार निवासी गनेडी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 10.01.2006 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 308/2002 श्रीमती दुर्गा देवी बनाम कन्हैयालाल

उपस्थित

1. श्री इस्लामुधीन गौरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामावतार महरिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–31.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा वाद संख्या 308/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 495 वाके ग्राम बठोठ एक दावा बाबत उदघोषणा संशोधित खाता स्थाई निषेधाज्ञा व प्राप्त करने कब्जा प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2006 से वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तनकी संख्या 4 गलत बनाई है गोद का बिन्दु तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। तन की संख्या 1 के समर्थन में वादी ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत भी किये है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 साबित करने में वादी असफल रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट को किशनाराम की बेवा छोटुड़ी ने विधिक रूप से गोद लिया है केवल गोदनामा रजिस्टर्डड नही होने के आधार पर गोद के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। रेस्पोडेंट का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। अपीलांट का 12 वर्ष से अधिक वादी की जानकारी में निरबाध कब्जा होने से कब्जा मुखालिफाना हो चुका है वादी को अपीलांट के विरूद्व वाद लाने का अधिकार नही है। तनकी की संख्या 3 का निर्णय ही नही किया गया है पत्रावली पर वादी ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही किये जिससे अपीलांट द्वारा 1990 में कब्जा करना साबित होता हो। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के अनुतोष में चाहे बिना विक्रय पत्र दिनांक 11.06.1992 को अवैध व शून्य घोषित किया गया है। जबकि इस सन्दर्भ में तनकी ही कायम नही की गई अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्रि अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत बताते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं के अतिरिक्त हमने किसी के मौखिक साक्ष्य नही करवाई है। जिससे विवादित भूमि वादी की खातेदारी व काश्तकारी की होना व काबिज होना माना जा सकें विचारण न्यायालय ने इसे सरसरी तौर पर वादी के पक्ष में निर्णित करने विधिक भूल की है। तन की संख्या 2 भी साबित करने में वादी सफल नही रहा है जबकि प्रतिवादी अपीलांट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपना कब्जा साबित किया है। कब्जे के अभाव में वाद वादी खारिज योग्य था तनकी संख्या 3 के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय ने प्रथक से विवेचन कर कोई निर्णय विचारण न्यायालय में पारित नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। तनकी संख्या 4 अपीलांट के गोद के सन्दर्भ में है प्राथमिक रूप से साक्ष्य द्वारा अपीलांट ने गोद के तथ्य को साबित किया है यहा यह भी विचारणीय है कि गोद का बिन्दु तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नही है विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तनकी संख्या 4 पर विवेचन कर वादी के पक्ष में निर्णित की है जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है। तनकी संख्या 5 बेदखली के सन्दर्भ में कायम की गई है विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित नही किया गया है कि सन 1990 में अपीलांट ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा किया हो ऐसी स्थिति में केवल मात्र कथनों को सही मानकर बेदखली का आदेश दिया जाना विधि विरूद्व है।

इस प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.1992 को विवादित भूमि के सन्दर्भ में किये गये विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया गया है। जबकि वादी के वाद में एवं विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात में इस सन्दर्भ में न तो अनुतोष

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चाहा गया न ही तनकी कायम की गई, न ही विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये बल्कि सीधे ही मनमर्जी से विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर दिया है जो विधि विपरित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2006 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31.X.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री बसिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - करतार सिंह पूनियाँ RAS

कन्हैयालाल बनाम उगी देवी
—अपीलांट —रेस्पोन्डेन्ट

—[illegible]—

अपील नम्बर 30/2013 बनाराजगी डिक्री अदालत - उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - लक्ष्मणगढ़ दिनांक 10 माह 1 सन् 2006

- दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 31-10-2018 हब्स हमारे व हाजिर श्री रामावतार महरिया ....मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री सांवरमल ...... मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10-1-16 अपास्त किया जाता है।
....
....

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग [illegible] .... रूपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का [illegible] .... रूपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 31-10-18 .... को जारी की गई।

दस्तखत - [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपीलार्थीगण	रुपये	पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये	पैसे
1- स्टाम्प अपील			1- स्टाम्प वकालतनामा		
2- स्टाम्प वकालतनामा			2- स्टाम्प अर्जी		
3- इजराय हुक्मनामा			3- इजराय हुक्मनामा		
4- तलबाना मुतफुरकात			4- मुतफुरकात		
5- मिजान			5- मिजान		
योग			योग		

दस्तखत - [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर